

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05/10/2023

क्र. एफ 16-44/2019/ए-म्यारहः: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेरसर्स ए.सी.सी सीमेंट लि. द्वारा ग्राम अमेठा, तहसील विजयरावगढ़, जिला कटनी में रु. 1764 करोड़ के पूँजी निवेश से किलकर एवं सीमेंट निर्माण परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 09.03.2020 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (DIPIP18952) पर निम्नानुसार पुनरीक्षित सुविधायें दी जायें -

1. निवेश प्रोत्साहन सहातया - उद्योग सर्वार्थन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत यंत्र - संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर, समस्त गणक सहित 20 प्रतिशत की स्थिर दर, अधिकतम रु. 400 करोड़ की सीमा तक शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

2. विद्युत टैरिफ में रियायत- परियोजना अंतर्गत नवीन विद्युत कनेक्शन/ स्थापित विद्युत कनेक्शन पर लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रु. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. विद्युत शुल्क से छूट- परियोजना अंतर्गत नवीन विद्युत कनेक्शन/ स्थापित विद्युत कनेक्शन पर लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार एवं वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम द्वारा उत्पादित विद्युत पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना हेतु प्रतिबद्ध निवेश के साथ दिसम्बर, 2023 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

5. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

6. परियोजना को उद्योग सर्वार्थन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
निरंतर

पृ. क्र. एफ 16-44/2019/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक ०५ /१० /2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर।
 4. कलेक्टर, जिला - कटनी।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
 6. आथोराइज्ड सिनेटरी, मेसर्स ए.सी.सी सीमेंट लि., Cement House, 121, Maharshi Karve Road, Mumbai- 400020, India.
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग